ग्वालियर (म0प्र0)

R 1134 – 17 (62)

जगदीश प्रसाद तनय स्व0 ठाकुरदीन, उम्र 83 वर्ष, निवासी ग्राम गोड़हर, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

————**निगरानीकर्ता**

बनाम

1– **तीरथ प्रसाद तनय स्व0 ठाकुरदीन ब्रा0, उम्र 73 वर्ष, निवासी ग्राम गोढ़हर, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0**

2– **अयोध्या प्रसाद तनय स्व0 ठाकुरदीन ब्रा0, उम्र 76 वर्ष, निवासी ग्राम गोढ़हर, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0**

————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दि. 12.5.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 1368/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2017

अंतर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

महोदय

प्रकरण के तथ्य

यह कि आराजी नं0 191 रकवा 0.186 हे एवं मूल आराजी नं0 188 का कुल रकवा 1.283हे था जिसमें से 1.183हे रकवा शासकीय (रेल्वे लाइन) प्रयोजन हेतु अधिग्रहित कर ली गई थी और अंधिग्रहितशुदा रकवे की संपूर्ण मुआवजा राशि गैर निगरानीकर्ता तीरथ प्रसाद एवं अयोध्या प्रसाद ने बटवारे के आधार पर प्राप्त कर लिया था और मुताबिक आपसी बटवारा निगरानीकर्ता को आराजी

जगदीश प्रसाद बाया नि0 अं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1134–पीबीआर/17 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4–4–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा जिस प्रकरण को मंगाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रकरण उनके समक्ष लंबित प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक नहीं होने है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु नियत करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	